

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 26.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.09.2023

पुलिस मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय 04 लूटेरे गिरफ्तार, थाना नवाबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत फाइनेंस कंपनी के एजेंटों के साथ हुई लूट का सफल अनावरण, कब्जे से लूट का पैसा, 02 अदद मोटरसाइकिल तथा 03 अदद तमंचा व कारतूस बरामद-

दिनांक 22.09.2023 को थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई की एक फाइनेंस कंपनी के एजेंटों के साथ लूट की घटना हुई है, उक्त सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण में घटना के सफल अनावरण/बरामदगी व घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एस0ओ0जी0/सर्विलांस व थाना नवाबगंज की सयुक्त टीमों लगाई गयी थी।

जिसके क्रम में आज दिनांक 26.09.2023 को एस0ओ0जी0/सर्विलांस व थाना नवाबगंज की सयुक्त टीम द्वारा पतारसी-सुरागरसी करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर समय करीब 3:47 बजे प्रातः नगवा मोंड के आगे, गोसाई पुरवा के पास सड़क के किनारे पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई थी, जिस पर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा फायरिंग में बदमाश 01- करन यादव उर्फ सूरज 02- अभिषेक सिंह, 03- लल्ला उर्फ मनोहर कोरी 04- अभय श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में 02 बदमाशों 01. करन यादव उर्फ सूरज व 02. अभिषेक सिंह को पैर में गोली लगी है जिनका पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल गोण्डा में इलाज चल रहा है। अभियुक्तों के पास से रुपये 36010/- लूट का, लूट की घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल तथा 2 तमंचा 315 बोर, 1 तमंचा 32 बोर तथा 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ है। थाना नवाबगंज पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 01- करन यादव उर्फ सूरज पुत्र रोहित कुमार निवासी बखिरा महगंपुर थाना नवाबगंज गोंडा,
- 02- अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 राणा गुलाब सिंह निवासी मोहल्ला कहरान कस्बा व थाना नवाबगंज, गोंडा,
- 03- लल्ला उर्फ मनोहर कोरी पुत्र गणेश कुमार निवासी कोल्हमपुर इमाम थाना नवाबगंज गोंडा,
- 04- अभय श्रीवास्तव पुत्र संदीप श्रीवास्तव निवासी लालापुरवा अशोकपुर थाना नवाबगंज गोंडा

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0 459/23 धारा 394, 411, 120बी भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 465/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 36010/- रुपये लूट की धनराशि,
02. घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल।
03. 2 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
04. 1 तमंचा 32 बोर, 02 खोखा कारतूस 32 बोर बरामद।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय मय टीम थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. एस0ओ0जी0 प्रभारी सर्वजीत गुप्ता मय टीम जनपद गोण्डा।
03. सर्विलासं प्रभारी शादाब आलम मय टीम जनपद गोण्डा।

01. अभियुक्त लल्ला उर्फ मनोहर कोरी पत्र गणेश कुमार का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0स0 566/22 धारा 379, 411, 413, 414 भादवि थाना को0अयोध्या, अयोध्या।
02. मु0अ0स0 567/22 धारा 379, 411, 413, 414 भादवि थाना को0अयोध्या, अयोध्या।
03. मु0अ0स0 560/22 धारा 379, 411, 413, 414 भादवि थाना को0अयोध्या, अयोध्या।
04. मु0अ0स0 389/22 धारा 379, 411, 413, 414 भादवि थाना को0अयोध्या, अयोध्या।
05. मु0अ0स0 459/23 धारा 394, 411, 120बी भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0स0 337/23 धारा 328, 379, 411 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0स0 465/23 धारा 307 भादवि व 9(1)क/25 आर्मस एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

02. अभियुक्त करन यादव उर्फ सुरज पत्र रोहित कुमार का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0स0 459/23 धारा 394, 411, 120बी भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0 465/23 धारा 307 भादवि व 9(1)क/25 आर्मस एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

03. अभियुक्त अभिषेक सिंह पत्र स्व0 राणा गुलाब सिंह का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0स0 153/21 धारा 411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0 127/22 धारा 3(1)उ0प्र0गैग्रेस्टर एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0स0 459/23 धारा 394, 411, 120बी भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0स0 465/23 धारा 307 भादवि व 9(1)क/25 आर्मस एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

04. अभियुक्त अभय श्रीवास्तव पत्र संदीप श्रीवास्तव का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0स0 337/23 धारा 328, 379, 411 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0स0 459/23 धारा 394, 411, 120बी भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0स0 465/23 धारा 307 भादवि व 9(1)क/25 आर्मस एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.09.2023

नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त भुल्लर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 250 ग्राम नाजायज गांजा व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. भुल्लर पुत्र स्व0 देवीदीन पासी नि0 ग्राम शिवपुर महन्थ थाना श्रीदत्तगंज जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—306/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 250 ग्राम नाजायज गांजा

02. 01 अदद परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता—

आबकारी निरीक्षक वन्दना केसरवानी मय टीम।

सीसीटीएनएस योजना के सफल संचालन हेतु डिस्ट्रिक्ट मिशन टिम गोष्ठी का हुआ आयोजन—

पुलिस अधीक्षक गोंडा ने कंप्यूटर ऑपरेटर/सीसीटीएनएस कर्मियों को फीडिंग संबंधित दिए आवश्यक दिशा निर्देश—

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एवं तकनीकी सेवाएं मुख्यालय उत्तर प्रदेश के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में सीसीटीएनएस योजना के सफल संचालन हेतु आज दिनांक 26.09.2023 को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद के समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर/सीसीटीएनएस कर्मियों के साथ सीसीटीएनएस के संबंध में समीक्षा गोष्ठी की गयी। जिसमें उन्होंने सीसीटीएनएस पर की गई अब तक की फीडिंग का अवलोकन करते हुए निर्देशित किया कि ऑनलाइन चरित्र प्रमाणपत्र आवेदनो को समय से पूर्ण कर अपलोड किया जाए, सीसीटीएनएस पर की जाने वाली फीडिंग को तत्समय संबंधित कॉलम में फीड किया जाए, सीएम डैशबोर्ड 2.0 पर प्रदर्शित गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित मुकदमों में तत्काल गिरफ्तारी कर उन मुकदमों का तत्काल निस्तारण कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजदीप यादव, जनपद के समस्त थानों के कंप्यूटर ऑपरेटर/सीसीटीएनएस कर्मी मौजूद रहे।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.09.2023

चोरी करने के 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चोरा/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 26.09.2023 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोप में 03 अभियुक्तों—01. नागा उर्फ गिरवर दयाल, 02. उमेश चन्द उर्फ ननके, 03. नानमून मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का पावर प्रेशन नल व परिवहन में प्रयुक्त 01 ई रिक्शा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना कौड़िया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. नागा उर्फ गिरवर दयाल पुत्र गोपीनाथ नि० छिरास थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. उमेश चन्द उर्फ ननके पुत्र गोपीनाथ नि० छिरास थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
03. नानमून मिश्रा पुत्र रामशंकर मिश्रा नि० चिलबिला महास थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—322/23, धारा 379,411 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 03 अदद नल।
02. परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद ई रिक्शा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.09.2023

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 20–20 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 62,000–62,000 /– के अर्थदण्ड की सजा–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप नाबालिग लड़की से सामुहिक दुष्कर्म करने के 02 आरोपी अभियुक्तों–01.गोलू उर्फ सुनील कुमार, 02. नितिन शुक्ला को 20–20 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 62,000–62,000 /– के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोप में उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 नगर के पैरोकार हेड0 का0 अशोक कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट गोण्डा ने 20–20 वर्ष की कठोर सजा व रु0 62,000–62,000 /– के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. गोलू उर्फ सुनील कुमार कोरी पुत्र गिरधारीलाल कोरी नि0 विमौर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. नितिन शुक्ला पुत्र त्रिवेनी प्रसाद नि0 बेनीनगर खैरा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–734/2015, धारा 363,366,376डी भादवि, 5^{जी}/6 पॉक्सो ऐक्ट व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।